तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम हुक्म की में जारी
29/6/21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30/7 को पेश हो।	
14-10-21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान गत्त पं० कबराड़िया में पेश हुई। अप्रार्थीगण के लगभग बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शा० प० किये गये। नायब तहसीलदार मान्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शा० प० किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो।	

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी मान्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:24:14 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

वाद संख्या :- 135/19 प्रा/पत्र --प्रार्थी

श्री सोराम S/o श्री बालू गुर्जर निवासी - फतेहपुरा तहसील - मांडल (कॉपी)

बनाम

श्री नारायण S/o श्री सोराम गुर्जर निवासी - फतेहपुरा तहसील - मांडल (कॉपी) --विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर वेदन किया कि ग्राम.....फतेहपुरा.....पटवार हल्का.....बसराड़िया.....तहसील मांडल/में उसके ाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.....159.....कुल किता .....01..... कबा.....03 बिस्वा.....हेक्टेयर..... स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी तदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....20-11-19.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का धिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा हीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....फतेहपुरा..... पटवार हल्का.....बसराड़िया.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....159..... .....कुल किता .....01..... रकबा.....03 बिस्वा.....हेक्टेयर..... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....मांगीलाल.....को .....400/-/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर नहीं की जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:24:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा रकम जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी का जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी मांडल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

नि. सोराम नि. मांगी नि. हिम्मा

गोरी पत्थर